न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र (अस्थाई निषेधाज्ञा) संख्याः- 294/2025
जीसीएमएस नम्बर :-2025/00879

श्रीमती हरप्रीत छीपा पत्नी पवनकुमार छीपा जाति छीपा आयु वयस्क निवासी गुरूद्वारा साहिब नंदिनी नगर अहिवारा के पास दुर्ग छत्तीसगढ़ हाल पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा।

----प्रार्थीया

-: बनाम :-

1. बालूदास पिता भगवतीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा।
2. सन्तोकदास पिता भगवतीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं. जिला भीलवाड़ा।
3. कमलाबाई पुत्री भगवतीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा।
4. गीताबाई पुत्री भगवतीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा।
5. प्रेमबाई पुत्री भगवतीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा।
6. लीलाबाई पुत्री भगवतीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
8. उप-पंजीयक, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

---- अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा

--

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित-

1. श्री कन्हैयालाल सेन अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री किशन कुमावत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06

निर्णय दिनांक 24/10/2025

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 25.06.2025 को इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया जो रिपोर्ट उपरान्त दिनांक 26.06.2025 को प्रकरण संख्या 294/2025

24/10/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

बउनवानी श्रीमती हरप्रीत छीपा बनाम बालुदास वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में इस आशय का कथन किया कि- प्रार्थीया द्वारा उक्त अनवान का वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जो काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्री होगा।

प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात वाके ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

खाता संख्या: 1576 पन्द्रह सो छियोतर

आराजी नम्बर	-	रकबा
4666	-	0.7956 हैक्टयर

कुल कीता 01 एक कुल रकबा 0.7966 हैक्टयर

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित कृषि आराजियात में प्रार्थीया का 1/2 एक बटटा दो आधा हक हिस्सा निहित है व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 छः का 1/12 एक बटटा बाहरवां हक हिस्सा निहित है उसी अनुसार मोके पर काबीज होकर उपयोग-उपभोग व कास्त करते आ रहें है।

प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 02 दो में वर्णित कृषि भूमि का खाता शामलाती व अविभाजित होने से प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा चिन्ह के बारे में आपस मे विवाद होता रहता है तथा लगान जमा करवाते समय भी विवाद व लड़ाई-झगडा होता रहता है इसलिए प्रार्थीया अपना राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक हिस्सा का माप व सीमांकन कर विभाजन करवा खाता अलग करवा नक्शे में अलग व स्वतंत्र रूप से दर्ज करवाने के अधिकारी है जिससे प्रार्थीया के हक व हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाने हेतू प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगाया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जाकर खाता अलग किया जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित कृषि आराजियात प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की शामलाती होकर अविभाजित कृषि आराजियात है जिसमे प्रार्थीया का 1/2 एक बटटा दो आधा हक हिस्सा निहित है व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 छ. का 1/12 हक हिस्सा निहित हैं होकर मोके पर काबीज है

31/10/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

किन्तु विपक्षीगण उक्त भूमि का बिना विभाजन कराये ही दिनांक 10/06/2025 को उक्त आराजियात के किसी विशिष्ठ भू-भाग पर जमीन पर खडे पेड पोधे व चारो तरफ लगी थोर की बाड को बिना सभी कास्तकारों की सहमती से जे०सी०बी० मशीन बुलाकर उखाड़ कर फेंक दिये व साफ सफाई करवा दी व अवैध रूप से मौके पर पत्थर, रेत, सिमेन्ट व भराव डलवाकर नीचे खोदकर अवैध निर्माण व तारबन्दी करके कब्जा करने पर आमादा हो गये व खूर्द-बुर्द करने की धमकी दी जिसके लिए प्रार्थीया ने मौके पर ही दिनांक 10/06/2025 को विपक्षीगण को निवेदन किया कि उक्त भूमि शामलाती है जिस पर पत्थर डलवाकर निर्माण कार्य न करने के लिए मना किया कि उक्त भूमि शामलाती है जिस पर सभी का हक व अधिकार निहित है इसलिए उक्त भूमि का विभाजन होने के बाद ही निर्माण व विक्रय करे तो विपक्षीगण ने शामलाती खाते की भूमि का विभाजन से इन्कार कर दिया व प्रार्थीया को दिनांक 10/06/2025 को ही धमकी दी कि मैं इस भूमि के चारो तरफ दीवार का निर्माण करूंगे और मेरी मर्जी आयेगी उस हिस्से को मैं विक्रय करूंगा इसके बावजुद भी प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनाक 20/06/2025 को निवेदन किया कि सम्पूर्ण भूमि पर सभी का बराबर हक व हिस्सा अनुसार माप व सीमांकन कर विभाजन हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण ने दिनाक 20/06/2025 को भी इन्कार कर दिया व मौके पर निर्माण की धमकी दी व बिना किसी अधिकारिक आदेश के मौके पर पटवारी को बुलाकर उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराने लग गया जिसे मोके पर जाकर रोका गया अतः प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरुद्ध विभाजन कराये जाने कृषि जायदाद का व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है अतः प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्ध विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्ररस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है चूंकि विवादित भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की शामलाती होकर अविभाजित है जिसमे प्रार्थीया का हक व हिस्सा निहित होकर प्रत्येक आराजी में प्रार्थीया का हक व हिस्सा निहित होकर मौके पर कब्जा कास्त चला आ रहा है किन्तु विपक्षीगण उक्त भूमि का बिना विभाजन कराये ही दिनांक 10/06/2025 को उक्त आराजियात के किसी विशिष्ठ नू-भाग पर जमीन पर खडे पेंड पोधे व चारो तरफ लगी थोर की बाड को बिना सभी कास्तकारों की सहमती से जे०सी०बी० मशीन बुलाकर उखाड़ कर फेंक दिये व साफ सफाई करवा दी अवैध रूप से मौके पर पत्थर, रेत, सिमेन्ट व भराव डलवाकर नीचे खोदकर अवैध निर्माण कर कब्जा करने व खूर्द-बुर्द करने पर आमादा हो गये जिसका विपक्षीगण अकेले को कोई अधिकार नहीं है इसलिए जब तक उक्त शामलाती भूमि का खाता अलग होकर विभाजन नही होने तब तक उक्त भूमि पर मौके

21/10/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पर अवैध रूप से पत्थर डलवाकर निर्माण नहीं करे तारजाली नहीं लगावे व पेंड पोधों को नहीं काटें व रेकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाई रखी जाने हेतू मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है अन्यथा प्रार्थीया न्याय से वंचित हो जायेगी व काफी नुकसान व हानि उठानी पड़ेगी अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि में प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना है कि :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि भूमि कि वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलँख निरिक्षक क्षेत्र पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि भूमि वाके ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या: 1576 पन्द्रह सो छियोत्तर आराजी नम्बर 4666 छियालिस सो सासठ रकबा 0.7966 हैक्टयर कुल कीता 01 एक कुल रकबा 0.7966 हैक्टयर, भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती होकर अविभाजित कृषि आराजियात है जिसमे वादीया का 1/2 एक बटटा दो आधा हक हिस्सा निहित है जिसके उपयोग-उपभोग मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न न करे व न ही अन्य से करावे मौके पर दिवारों/तारजाली का अवैध निर्माण कार्य न करावे तथा जे०सी०बी मशीन से पेंड पोधो को नहीं हटावें भराव नही करावे साफ सफाई नही करावे मोके पर खडी थोर की बाड को नहीं हटायें तथा उक्त भूमि का विभाजन न होने तक सम्पूर्ण भूमि के राजस्य रेकॉर्ड व मौका की यथास्थिति रखी जावे।

न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2025 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीया के विद्धान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तरिम अनुतोष पर सुनी गई तथा अन्तरिम व्यादेश दिनांक 20.06.2025 पारित कर अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.07.2025 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि विपक्षीगण प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग एवं काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा व रुकावट न तो स्वंय करे, न अन्य से करावे, मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, मौके पर अवैध निर्माण कार्य न करावे। मौके व राजस्व

10/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से करने के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 16.07.2025 अप्रार्थी संख्या 1, 2, 7 व 8 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए। दिनांक 20.08.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मूल वाद में वकालतनामा पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में इस आशय का कथन किया कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित अनुसार प्रार्थीया का दावा गलत आधारो पर राजस्व रेकार्ड के विपरीत होने एवं तथ्यों को छिपाकर पेश करने से अवश्यमेव ही खारिज होगा।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित अनुसार ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 4666 रकबा 0.7966 हैक्ट. स्थित होना स्वीकार है।

प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 03 में वर्णित अनुसार समस्त तथ्य गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीया का गलत तौर पर 1/2 हक हिस्सा दर्ज है, प्राथीया का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही एंव गलती के कारण दर्ज हुआ है। आराजी संख्या 4666 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि भगवतीदास पिता गणेशदास बैरागी के नाम से जमाबन्दी सम्बत 2061-2064 में दर्ज रेकार्ड थी। भगवतीदास पिता गणेशदास बैरागी की मृत्यु होने के बाद विरासत से नामान्तरंण संख्या 6671 दिनांक 01-10-2012 को भगवतीदास के सात वारिस बालूदास, संतोकदास, शिवदास, गीताबाई, कमलाबाई, प्रेमबाई, लीलाबाई के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुआ। जिसके अनुसार उक्त आराजी संख्या 4666 में प्रत्येक खातेदार का 1/7 हक हिस्सा निहित हुआ। सम्बत 2069-2072 की जमाबन्दी में विरासत के नामान्तरण संख्या 7269 दिनांक 31.10.2014 को शिवदास की मृत्यु हो जाने से शिवदास के वारिस मुकेशदास, लादूदास एवं कमला बेवा शिवदास के नाम पर विरासत से नाम दर्ज हुये। जमाबन्दी सम्वत 2069-2073 में ऑनलाईन जमाबन्दी मे राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण मृतक शिवदास के वारिसों का हिस्सा 1/21 के जगह 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड कर दिया और अन्य खातेदारो के 1/7 हक हिस्से की जगह 1/12 हक हिस्सा दर्ज कर दिया जो कि एक राजस्व रेकार्ड को मेंटेन करने के दौरान त्रुटि हुयी है सेक्रीगेशन की प्रक्रिया के दौरान हुयी गलती को पटवारी के स्तर पर सही करने का आदेश तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ से जारी कर रखा था। किन्तु हल्का पटवारी की जानकारी मे उक्त तथ्य आ जाने के बाद भी त्रुटि को सही नही की एंव शिवदास के वारिसो के द्वारा दिनांक 21.3.2021 को एक विक्रय पत्र का निष्पादन प्रार्थीया के पक्ष मे निष्पादन करवाया। उक्त विक्रय पत्र दि.

10/25

21.3.2021 में शिवदास के वारिसो ने आराजी संख्या 4666 में अपना जो भी हिस्सा था, उसको विक्रय कर दिया। विक्रय पत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया कि उनका कितना हिस्सा था और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी ने नामान्तरण संख्या 8908 दिनांक 4.5.2021 को प्रार्थीया के पक्ष में 1/2 हिस्से का नामान्तरण दर्ज कर दिया। जबकि विक्रय पत्र में कोई भी हिस्सा दर्ज नहीं था। उपरोक्त सभी तथ्यो की जानकारी हल्का पटवारी को थी कि सैटलमेंशन के समय हिस्सा दर्ज करने मे गलती हुयी है एवं विक्रय पत्र में हिस्सा दर्ज नहीं है फिर भी 1/2 हिस्से का नामान्तरण प्रार्थीया के पक्ष में दर्ज कर दिया। नामान्तरण संख्या 8908 दिनांक 04.05.2021 की विपक्षी संख्या 01 व 02 के द्वारा अपील श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाडा के समक्ष पेश की जिसके प्रकरण संख्या 43/2023 होकर उसमे दिनांक 11.11.2024 को निर्णय पारित कर श्रीमान तहसीलदार भीलवाडा को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था और राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर एव पक्षकारों को सुनकर पुन: नामान्तरण की कार्यवाही करनी थी। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाडा के उक्त प्रकरण के निर्णय से प्रार्थीया सन्तुष्ठ नही हुई जिससे प्रार्थीया ने रिव्यू प्रार्थनापत्र पेश किया जिसंके प्रकरण सख्या 20/2024 होकर उसमे सुनवाई की कार्यवाही चल रही थी और दिनांक 29.7.2025 को रिव्यू का प्रार्थनापत्र प्रार्थीया का खारिज कर दिया गया था। रिव्यू का प्रार्थनापत्र श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाडा के समक्ष लम्बित था और विवादित आराजी के सम्बन्ध में ही था। किन्तु फिर भी प्रार्थीया ने श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष चल रही कार्यवाही के तथ्यों को छिपाते हुये उक्त वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र श्रीमान के समक्ष पेश करके और न्यायालय को गुमराह करते हुए अपना 1/2 हिस्सा बताकर एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित करवा लिया है जो तथ्यों एवं राजस्व रेकार्ड के विपरीत है तथा प्रार्थीया को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी श्रीमान के समक्ष पेश किये गये प्रार्थनापत्र के समर्थन में अपना झूठा शपथपत्र पेश कर दिया। और केवल मात्र विवाद एवं मुकदमेबाजी करने की गरज से उक्त झूठा वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र पेश किया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 04 में वर्णित समस्त तथ्य गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीया का जमाबन्दी के दर्ज अनुसार हक हिस्सा नहीं है केवल मात्र रेकार्ड में गलत हिस्सा दर्ज हो जाने से प्रार्थीया 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार नहीं हो सकती है और प्रार्थीया स्वयं नामान्तरण की अपील में पक्षकार है तथा प्रार्थीया के द्वारा अपना पक्ष नामान्तरण की अपील में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर के न्यायालय में रखा है तथा रिव्यु का प्रार्थनापत्र भी प्रार्थीया के द्वारा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया समस्त तथ्यों से

10/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

भलीभांति वाकिब है फिर भी श्रीमान के समक्ष मुकदमेबाजी बढाने की गरज से विभाजन का वादपत्र एंव प्रार्थनापत्र पेश कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 05 मे समस्त तथ्य गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीया के द्वारा उक्त चरण में मनगढन्त एवं कपोल कल्पित तथ्य दर्ज किये है प्रार्थीया ने कही भी यह नहीं बताया कि उसके पास 1/2 हक हिस्सा कहां से आया। विक्रय पत्र में कही भी हिस्सा नही दर्ज किया गया है तथा श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाडा के समक्ष चली अपील में भी प्रार्थीया के द्वारा यह नहीं बताया कि उसके पास 1/2 हिस्सा कहां से आया और उसने शिवदास के वारिसों से भूमि क्रय की है शिवदास के वारिसो के नाम पर 1/2 हक हिस्सा कैसे दर्ज हुआ यह भी स्पष्ट नही किया है। केवल मात्र राजस्व कर्मचरियो की त्रुटि के कारण शिवदास के वारिसो का हिस्सा अधिक दर्ज कर देने से प्रार्थीया 1/2 हक हिस्से की मालिक नहीं हो सकती है। तथा प्रार्थीया के द्वारा अपने नाम पर करवाये गये विक्रय पत्र में भी कही पर भी हिस्सा नही दर्ज किया गया है।

प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 06 में वर्णित समस्त तथ्य गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीया का मौके पर कोई भी कब्जा नही है तथा प्रार्थीया ने जानबुझकर विवादित आराजी के सम्बन्ध में कार्यवाही लम्बित होते हुऐ भी श्रीमान के समक्ष अपना 1/2 हक हिस्सा बताकर प्रार्थनापत्र पेश कर दिया जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। तथा प्रार्थीया की जानकारी में समस्त तथ्य होते हुऐ भी अपना 1/2 हक हिस्सा दर्ज कर विभाजन चाहा है जो कानूनन प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीया का कोई भी प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। तथा विपक्षी संख्या 01 व 02 का उक्त आराजी में कमशः 1/7-1/7 हक हिस्सा निहित है। प्राथीया ने गलत तथ्यों के आधार पर 1/2 हक हिरसा बताते हुए एक पक्षीय आदेश अपने पक्ष में कराया है जो रेकार्ड के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपूर्णनीय क्षति व सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी विपक्षीगण के पक्ष मे है इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 07 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 08 में प्रार्थीया ने जानबुझकर अपना झूठा शपथपत्र पेश किया है।

अतः श्रीमान निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र सारहीन होने एवं रेकार्ड के विपरीत होने से सव्यय खारिज फरमाया जाये।

2/10/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक 21.08.2025 को अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की ओर से श्री किशन कुमावत अभिभाषक ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश नहीं करना चाहने पर इसका अंकन आदेशिका में किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 का जवाब बन्द किया गया। दिनांक 24.09.2025 को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का जवाब पेश न करके सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया गया। उभय पक्षकारान् की बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 पर सुनी गई। निर्णय दिनांक 29.09.2025 पारित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 अस्वीकार कर खारिज किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर उभय पक्षकारान् की बहस अन्तिम सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण, तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित है, इत्यादि तर्को के आधार पर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया।

विद्धान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के विद्धान अभिभाषक के तर्को का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी गई कि जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण साबित नहीं है तथा तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं है अपितु अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तीनों प्रमुख घटक बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है, इत्यादि तर्को के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तहत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तीन प्रमुख घटक 1-प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण, 2-तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व 3-अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण- पत्रावली पर मौजूद तथ्यो व राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2069 से 2073 से प्रकट है कि खाता संख्या नया 1576 पुराना 1481 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर-प्रथम, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 4666 कुल किता 1 कुल रकबा 0.7966 हैक्टेयर की खातेदारी कमलाबाई पुत्री भगवतीदास हिस्सा 1/12 जाति बैरागी सा0 देह, गीताबाई पुत्री भगवतीदास हिस्सा 1/12 जाति बैरागी सा0 देह, प्रेमबाई पुत्री

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

भगवतीदास हिस्सा 1/12 जाति बैरागी सा0 देह, बालूदास पुत्र भगवतीदास हिस्सा 1/12 जाति बैरागी सा0 देह, लीलाबाई पुत्री भगवतीदास हिस्सा 1/12 जाति बैरागी सा0 देह, सन्तोकदास पुत्र भगवतीदास हिस्सा 1/12 जाति बैरागी सा0 देह, हरप्रीत छीपा पत्नि पवन कुमार छीपा हिस्सा 1/2 जाति छीपा सा0 गुरूद्वारा साहिब नंदिनी नगर, अहिवारा के पास दुर्ग छत्तीसगढ हाल पुर भीलवाड़ा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त सभी खातेदारान् प्रकरण में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित है।

उक्त राजस्व अभिलेख से प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि विवादित भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से कानूनन प्रत्येक सह-हिस्सेदार/खातेदार काश्तकार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक इन्च पर कानूनी कब्जा व अधिकार निहित होता है तथा कोई भी सह-खातेदार काश्तकार अपने अन्य सह-खातेदार काश्तकार को अकारण किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। इस कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण साबित नहीं माना जा सकता।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा निहित नहीं होना कथन किया गया है। इस प्रश्न को वाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही तय किया जा सकता है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में इस आपत्ति का निस्तारण नहीं किया जा सकता।

न्यायिक दृष्टान्त 2020(2) आर.आर.टी. पेज 1122 रिविजन टीए नम्बर 1122/2018 दलीप बनाम अजय व अन्य निर्णीत दिनांक 30.09.2019 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 212- अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया-अपील में आदेश यथावत रहा- संयुक्त खातेदारी की भूमि प्रत्येक सह-खातेदार भूमि के कब्जे में होना माना जायेगा-समवर्ती निष्कर्ष-निर्णीत, आदेश में अवैधता नहीं है।

हमारी सुविचारित राय में उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मूल प्रकरण एक सहखातेदार द्वारा दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में है। स्थिति यह है कि विवादित आराजी अविभाजित सम्पत्ति है जिसके संबंध में विधिक विभाजन हेतु मूल वाद इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वर्तमान प्रकरण में यह निर्विववादित तथ्य है कि विवादित भूमि संयुक्त खाते की आराजी है। उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान् सहखातेदार है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 212 प्रार्थना पत्र के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विधि का यह सिद्धान्त है कि जब तक सहखातेदारो के मध्य विवादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन नहीं हो जाता तब तक सहखातेदारी की प्रत्येक इन्च भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर हिस्सा माना गया है। इस संबंध में माननीय राजस्व **मण्डल की वृहद पीठ ने आर.आर.डी. 1996 पेज 148 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-**

21/10/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

Rajasthan Tenancy Act, Section 53 & 212- Transfer of property Act, Section 44- Single Bench of the Board erferred the matter for decision to the larger Bench whethere "Temorary injunction can be issued against the purchaser in respect of a particular piece of land transferred with possession by one co-tenant and entry thereupon- Held, can be issued against a stranger purchaser who has purchased unpartitioned land with possession of the co-tenants with the direction that he should not interfere in the cuiltivatory possession of the unpartitioned disputed joint khatedari land should not use or take henefit of any part of land or transfer the land in co-tanency to any person in any way whatsoever.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यायिक दृष्टान्त** AIR 2009 SUPREME COURT PAGE 2135- में यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि Transfer of property Act Section 54- purchase of undivided share of co-sharer- Right of purcheser to claim possession.

A purchaser can have a better title than what vender had. An undivided share of co-sharer may be a subject matter of sale, but possession can not be handed over to the vendee unless the property is partitioned by metes and bounds amicably and through mutual settlement or by a decree of the Court. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि अजनवी क्रेता बिना विभाजन शामलाती खाते की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता है अगर प्रवेश कर भी लिया है तो वह वहां काबिज नहीं रह सकता है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया का मुख्य आक्षेप है कि– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित कृषि आराजियात प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की शामलाती होकर अविभाजित कृषि आराजियात है जिसमे प्रार्थीया का 1/2 एक बटटा दो आधा हक हिस्सा निहित है व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 छ. का 1/12 हक हिस्सा निहित होकर मोके पर काबीज है किन्तु विपक्षीगण उक्त भूमि का बिना विभाजन कराये ही दिनांक 10/06/2025 को उक्त आराजियात के किसी विशिष्ठ भू-भाग पर जमीन पर खडे पेंड पोधे व चारो तरफ लगी थोर की बाड को बिना सभी कास्तकारों की सहमती से जे०सी०बी० मशीन बुलाकर उखाड़ कर फेंक दिये व साफ सफाई करवा दी व अवैध रूप से मौके पर पत्थर, रेत, सिमेन्ट व भराव डलवाकर नीचे खोदकर अवैध निर्माण व तारबन्दी करके कब्जा करने पर आमादा हो गये व खुर्द-बुर्द करने की धमकी दी जिसके लिए प्रार्थीया ने

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मौके पर ही दिनांक 10/06/2025 को विपक्षीगण को निवेदन किया कि उक्त भूमि शामलाती है जिस पर पत्थर डलवाकर निर्माण कार्य न करने के लिए मना किया कि उक्त भूमि शामलाती है जिस पर सभी का हक व अधिकार निहित है इसलिए उक्त भूमि का विभाजन होने के बाद ही निर्माण व विक्रय करे तो विपक्षीगण ने शामलाती खाते की भूमि का विभाजन से इन्कार कर दिया व प्रार्थीया को दिनांक 10/06/2025 को ही धमकी दी कि मैं इस भूमि के चारो तरफ दीवार का निर्माण करेंगे ओर मेरी मर्जी आयेगी उस हिस्से को मैं विक्रय करूंगा इसके बावजुद भी प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनाक 20/06/2025 को निवेदन किया कि सम्पूर्ण भूमि पर सभी का बराबर हक व हिस्सा अनुसार माप व सीमांकन कर विभाजन हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण ने दिनाक 20/06/2025 को भी इन्कार कर दिया व मौके पर निर्माण की धमकी दी व बिना किसी अधिकारिक आदेश के मौके पर पटवारी को बुलाकर उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराने लग गया जिसे मोके पर जाकर रोका गया अतः प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरुद्ध विभाजन कराये जाने कृषि जायदाद का व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है अतः प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्ध विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्ररस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

हमारी सुविचारित राय में प्रार्थीया द्वारा वर्णित उक्त आक्षेपो के आधार पर विपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकारो को पाबन्द कराने के लिए प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण साबित नहीं माना जा सकता।

तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति– चूँकि प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण जो कि विवादित भूमि के रिकार्डेड सह-खातेदार व मौके पर काबिज काश्तकार है, को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर विपक्षीगण रिकार्डेड सह-खातेदार व मौके पर काबिज काश्तकार के विधिक अधिकारो का हनन होगा, जिससे विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। जबकि विपक्षीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द न किये जाने पर प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की असुविधा व अपूर्णीय क्षति कारित होने की सम्भावना नहीं है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो के आधार पर तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में बमुकाबले विपक्षीगण साबित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित एकपक्षीय अन्तरिम व्यादेश दिनांक 26.06.2025 मंसुख/अपास्त किया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

20/10/25

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

–: आदेश :–

अतएव इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित एकपक्षीय अन्तरिम व्यादेश दिनांक 26.06.2025 मंसुख/अपास्त किया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध विपक्षीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

24/10/25

अरूण कुमार जैन
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर भीलवाडा